न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 11/2021

बउनवान

1. धापू बाई आयु 55 वर्ष पत्नी श्री बिरधीलाल जाति माली
2. गुड्डीबाई आयु 43 वर्ष पत्नी श्री ओमप्रकाश जाति माली
3. संतोषबाई आयु 40 वर्ष पत्नी श्री राधेश्याम जाति माली निवासीगण बोरदा तहसील बारां जिला बारां (राज0) (अपीलांट)

बनाम

1. जगदीश पुत्र श्री देवलाल जाति माली निवासीगण बोरदा तहसील बारां जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां जिला बारां राजस्थान

(रेंस्पोडेंट)

अपील विरूद्ध इंतकाल नं. 994 दिनांक 03.09.2020 तहसीलदार बारां अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री अशोक कुमार मीणा एडवोकेट (अपीलांट)
2. श्री ओम भारद्वाज एडवोकेट (रेस्पो.क्रम 1)

निर्णय दिनांक 07.07.2022

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो. क्रम 1 के शामलाती खाते की आराजीयात खाता संख्या 10 पुराना 8 खसरा नंबर 262 रकबा 1.93 है., खसरा नंबर 263 रकबा 0.25 है. कुल किता 2 रकबा 2.18 है. वाके माल बोरदा तह0 बारां दर्ज है जिसमें रेस्पो. क्रमांक 1 का हिस्सा 3/8 दर्ज है। उक्त आराजी पूर्व में उदालाल पुत्र कान्हा जाति माली निवासी बोरदा के शामलाती खाते दर्ज थी। जिसे पूर्व खातेदार ने अपने सहखातेदारान के साथ जरिये विक्रय पत्र दिनांक 12.06.2006 अपीलान्ट क्रम 1 ता 3 को बेचान किया था तथा बाद रजिस्ट्री अपीलांट्स द्वारा जरिये विक्रय पत्र खरीद की गयी आराजी का इन्तकाल स्वंय के नाम खुलवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया किन्तु पूर्व खातेदार उदा के खाते व हिस्से की आराजी पर बैंक रहन दर्ज होने से इन्तकाल नहीं खुल सका तथा उसके बाद खातेदार उदा का स्वर्गवास हो गया। रेस्पो. क्रम 1 द्वारा मृतक उदा का स्वंय को वसीयती उत्तराधिकारी बताकर राजस्व कर्मियों से मिलीभगत कर उक्त आराजी का न्यायालय तहसीलदार बारां से दिनांक 08.07.2020 को आदेश पारित करवाकर उक्त आदेश की पालना में मृतक उदालाल के स्थान पर 3/8 हिस्से की आराजी पर फोती इन्तकाल खुलवाकर स्वयं के नाम दर्ज करवा लिया जबकि पूर्व खातेदार उदा पूर्व में उक्त आराजी को अन्य सहखातेदारों सहित जरिये विक्रय पत्र बेचान कर चुका है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय आदेश दिनांक 08.07.2020 निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर रेस्पो0 क्रमांक 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2020 के आधार पर खोला गया इन्तकाल क्र. 994 दिनांक 03.09.2020 निरस्त फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.24 10:48:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पो. क्रम 1 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौरोंन बहस अभिभाषक अपीलांट ने फर्द के साथ उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा दिनांक 15.03.2022 की छायाप्रति पेश की। उपस्थित रेस्पो. क्रम 1 स्वंय व अभिभाषक रेस्पो. क्रम 1 ने राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

ग्राम बोरदा की जमाबंदी संवत 2070–73 मुताबिक खाता संख्या 100, खसरा नंबर 762 रकबा 1.93 है., 763 रकबा 0.25 है. का 3/8 हिस्सा उदा पुत्र कान्हा के खातेदारी में दर्ज था। खातेदार उदा द्वारा इसका बेचान जरिये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 12.06.2006 अपीलान्ट को किया गया। भूमि का विक्रय करने के पश्चात उदा पुत्र कान्हा का उक्त भूमि में किसी प्रकार का हित निहीत नही है। अतः उक्त भूमि की वसीयत करने का भी उसको कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वसीयत के आधार पर ग्राम बोरदा की आराजी खसरा नंबर 762, 763 का नामां. जगदीश के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया है जबकि उक्त भूमि पर उसका कोई हित निहीत नहीं था। अतः उक्त भूमि की वसीयत करने का भी उसको कोई अधिकार नहीं था। पक्षकारान द्वारा राजीनामा दिनांक 15.03.2022 की छायाप्रति पेश कर राजीनामा अनुसार प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम बोरदा का नामान्तरकरण संख्या 994 दिनांक 03.09.2020 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार बारां को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित आराजी का नामान्तरकरण नियमानुसार अपीलांट के हक में दर्ज किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.24 10:48:40 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

जिला न्यायालय
बारां (राज०)